(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 213 **नई दिल्ली** 31**अक्तूबर**, 2007

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत् द्वारा, पारादीप फास्फेट लिमि. के साथ पारादीप पत्तन न्यास द्वारा किए गए दिनांक 3 अगस्त 1985 के करार में संशोधन हेतु पारादीप पत्तन न्यास के प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /62/2005-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास ------- आवेदक

आ दे श

(सितम्बर 2007 के 12 वें दिन पारित)

इस प्रकरण का संबंध पारादीप फास्फेट लिमि. के साथ पारादीप पत्तन न्यास द्वारा किए गए दिनांक 3 अगस्त 1985 के क़रार में, एक कैप्टिव बर्थ के निर्माण और प्रचालन के लिए संशोधन हेतु पारादीप पत्तन न्यास के प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है। दिनांक 28 सितम्बर 2005 के पत्र पीपीटी ने उपरोक्त क़रार में संशोधन के लिए और कार्गो और बर्थ किराया प्रभारों में संशोधन के लिए और न्यूनतम गारंटी आरंभ करने इत्यादि के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया था। प्रस्ताव में पीपीटी ने बताया है कि अक्तूबर 1993 में प्रभारों में संशोधन के फलस्वरूप पीपीटी और पीपीएल के बीच विवाद के तुरंत बाद न्याय निर्णय प्रक्रिया आरंभ की गई थी और दिसम्बर 2002 में घोषित निर्णय में न्याय निर्णयक ने अक्तूबर 1993 से दरों में की गई वृद्धि को निरस्त कर दिया और व्यवस्था दी कि टीएएमपी द्वारा संशोधित दरें 1 अप्रैल 1999 से प्रभावी होंगी। पत्तन ने यह भी बताया है कि तदनन्तर इसने सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के सम्मुख एक पुनरीक्षा याचिका दायर की है ।

2. पीपीटी के दिनांक 28 सितम्बर 2005 के प्रस्ताव की एक प्रति पीपीएल को उसकी टिप्पणी के लिए भेजी गई थी । साथ ही साथ, पीपीटी से लागत ब्यौरे के साथ दरों में प्रस्तावित वृद्धि का औचित्य सिद्ध करने और यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि पत्तन के द्विपक्षीय क़रार में संशोधन के लिए इस प्राधिकरण को क्यों शामिल होना चाहिए।

3. पीपीटी ने नवम्बर 2005 में सूचित किया था कि न्यायनिर्णयन का निर्णय पीपीएल के पक्ष में बहुत अधिक झुका हुआ था और वर्तमान समय में ओसवाल कैमिकल्स एंड फर्टीलाइज़र्स लिमि. (ओसीएफएल). [बाद में, इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइज़र्स को आपरेटिव लिमिटेड (इफको) द्वारा खरीदे गए]द्वारा आरंभ की गई वैसी ही गतिविधियों के लिए लगाया गया प्रशुल्क पीपीएल से बहुत अधिक है।

4. प्रत्युत्तर में, पीपीएल ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि (i) 1985 का क़रार पर स्थायित्व पर भलीभांति विचार करने के बाद हस्ताक्षर किए थे क्योंकि प्रशुल्क में

परस्पर सहमति के बाद ही परिवर्तन किया जा सकता है, (ii) 1985 का प्रशुल्क स्वयं भी अन्य अनेक भारतीय पत्तनों पर प्रचलित वर्तमान दरों से अधिक हैं और (iii) बर्थ किराया और पोतघाट भाड़ा समाहित केवल नाममात्र के स्थिर प्रभार ही मासिक या वार्षिक आधार पर हो सकते हैं जिन्हें विशिष्ट रूप से पीपीएल नियंत्रणाधीन बर्थ के लिए टीएएमपी द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

5. दिसंबर 2005 में पीपीटी से एक बार फिर लागत ब्यौरों के साथ दरों में प्रस्तावित वृद्धि का औचित्य सिद्ध करने का और एक द्विपक्षीय क़रार में संशोधन के लिए उचित प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया /राय व्यक्त करने का अनुरोध किया गया था। पीपीटी ने उत्तर दिया कि पीपीएल के नियंत्रणाधीन बर्थ में कार्गो प्रहस्तन के लिए लागत विवरणियां, इसके दरमान के व्यापक संशोधन हेतु प्रस्ताव में शामिल हैं। पत्तन का यह भी अभिमत था कि द्विपक्षीय क़रारों में संशोधन के लिए भारत सरकार के साथ-साथ टीएएमपी का अनुमोदन भी जरूरी होगा जैसाकि 1999 ओसीएफएल के संबंध में किया गया था।

6. यह एक तथ्य है कि ओसीएफएल द्वारा पट्टे पर लिए गए फर्टीलाइज़र बर्थ के लिए प्रशुल्क निर्धारित करते हुए इस प्राधिकरण ने 1998 में एक आदेश पारित किया था और उसका विवरण पीपीटी के दरमान में शामिल कर दिया था। उस मसय इस प्रकार निर्धारित दरों को लगाने में पत्तन के पास कोई उदारता / लचीलापन उपलब्ध नहीं था। तब से परिस्थितियां काफी बदल गई हैं और वर्तमान में इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरें उच्चतम स्तर हैं और पत्तन, यदि चाहें तो, निम्नतर दरें लगा सकते हैं या अधिक छूट और कटौती प्रदान कर सकते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि (i) यह प्राधिकरण, विभिन्न सुविधाओं के उपयोग के लिए लागत आधारित दरों को ही अनुमोदन प्रदान करेगा और उन्हें, इस प्रकार निर्धारित उच्चतम (दरों) के भीतर प्रचालन करने की आजादी देने वाले पत्तनों के दरमान में शामिल कर देगा महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 42 के अन्तर्गत प्राधिकार के मामलों के अलावा द्विपक्षीय क़रार के उन अलग-अलग मामलों को हाथ में नहीं लेगा जो पत्तन ने बर्थों के आबंटन के लिए दूसरे संगठनों के साथ किए होंगे क्योंकि लागत आधारित दरें सामान्यरूप से लागू होंगी और यह प्रासंगिक नहीं होगा कि बर्थ किसी विशिष्ट संगठन को केवल उसके ही उपयोग के लिए आबंटित की गई है या इसकी साझा उपयोग आधार पर पत्तन द्वारा व्यवस्था की जाती है।

7. जुलाई 2006 में पीपीटी को, इस प्राधिकरण द्वारा, ऊपर पैरा 6 में वर्णित, लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया गया था। पत्तन से एक बार पुनः अनुरोध किया गया था कि वह दो नियंत्रणाधीन बर्थो के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों के लिए लागत का औचित्य प्रस्तुत करे ताकि उनके लिए प्रस्तावित विभेदक दरों का, सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर कार्रवाई करते समय विश्लेषण किया जा सके।

8.1. पत्तन के प्रस्ताव पर 4 जून 2007 को पारादीप पत्तन न्यास में एक संयुक्त सुनवाई रखी गई थी जिसमें पीपीटी और पीपीएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वहां

इस प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि मुकदमा माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और न्यायालय ने, न्यायनिर्णायक के निर्णय के प्रचालन स्थगन लाते हुए अन्तरिम आदेश जारी किया है। पीपीएल ने एक संदेह भी उठाया है कि क्या 1999 के बाद की दरें टीएएमपी द्वारा निर्धारित किए जाने के विषय में न्याय निर्णायक का निर्णय, पीपीटी द्वारा न्यायनिर्णय के निर्णय को चुनौती देने की दृष्टि से, अब लागू किया जा सकता है। इसलिए, पीपीटी से निम्नलिखित मुद्‌दों पर कानूनी राय लेने का अनुरोध किया गया था :-

(i) टीएएमपी द्वारा पीपीटी को पहले सूचित किया गया निर्णय कि यह अलग-अलग क़रारों को हाथ में नहीं लेगा बल्कि वह दरमान में उच्चतम दरें निर्धारित करेगा।

(ii) पीपीएल के साथ इसके द्वारा किए गए क़रार में संशोधन और प्रशुल्क के संशोधन हेतु (पीपीटी के) प्रस्ताव पर उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश का प्रभार।

8.2. उपरोक्त पर पीपीटी ने सूचित किया है कि पीपीएल के साथ आवश्यक परामर्श करने के बाद वह, फर्टीलाइज़र बर्थ सं. 1 पर प्रहस्तित पीपीएल के कार्गो पर लगाए जाने वाले प्रभारों पर एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। चूंकि पीपीएल के कार्गो पर लगाए जाने वाले प्रभार, अन्य बातों के साथ, पीपीटी के दरमान में सामान्य संशोधन के मामले (प्रकरण सं. टीएएमपी / 60/ 2005-पीपीटी में) में इस प्राधिकरण के आदेश में समाहित हैं, दिनांक 28 सितम्बर 2005 का पत्तन का प्रस्ताव अब अनावश्यक हो गया है और, इसलिए यह प्रकरण निष्पादित मान लिया गया है।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष